

2023/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
13/23	212 RTA	मुंडियाखेडा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कमलसिंह	बनाम	भैयालाल वर्गै.	

वकील :- अब्दुल हसीब आलम

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

29/23

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.02.23 को पेश हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

26/23

MRC केमो के काबू आन पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 03.10.23 को पेश हो।

[Signature]
सेक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

21/23

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24.1.24 को पेश हो।

[Signature]
सेक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

24.1.24

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29.2.24 को पेश हो।

[Signature]
सेक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

29-2-24

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 01.04.24 को पेश हो।

[Signature]
सेक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध सं.
1-4-24	पत्रावली पेश हुई वकील जर्जी उपाय कर्माधी कान 1, 2, 4 की ओर है सी डेपराज सुन लई का वकालतनाम पेश हुआ। जर्जी नहीं कान 3 वाकत सुनना के फायदा है उपाय नहीं सोके के कारण उक्त विरुद्ध एक नए कार्यवाही की गयी पत्रावली नाहि जवाब दिनांक 15-5-24 को पेश हो	
15-5-24	पत्रावली पेश हुई। वकालत जरीकेन उपाय। जवाब पेश नही। लक्ष्य चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11-6-24 को पेश हो।	
11-6-24	पत्रावली पेश हुई वकालत करीके उपाय जवाब पेश नही उका लक्ष्य चाहते है पत्रावली नाहि जवाब दिनांक 24-7-24 को पेश हो।	
24-7-24	पत्रावली पेश हुई वकालत करीके उपाय जवाब पेश नही उका लक्ष्य चाहते है पत्रावली नाहि जवाब दिनांक 10-9-24 को पेश हो।	
10-9-24	<p style="text-align: center;">लक्ष्य नाम भा. ग. गीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10-9-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">14 सिडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
29-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकालत जरीकेन उपाय। जवाब पेश नही उका लक्ष्य चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16-12-24 को पेश हो।	
16-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकालत जरीकेन उपाय। वकील पार्थ प्रकरण के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। Not press करना चाहते हैं। प्रकरण Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाले शुद्ध होकर डाखिल कर हो।	<p>Not Press Jaha</p>